भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 431
उत्तर देने की तारीख: 21.07.2026

अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना

431. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, यदि हाँ, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु तेलंगाना सरकार से केंद्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता का समयबद्ध निर्गमन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के विरुद्ध छुआछूत और अत्याचार की घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार करने और 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' तथा 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 29 मार्च 2006 को केंद्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अब तक कुल उनतीस बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने पिछली समीक्षा 08.01.2026 को हुई बैठक में की है।

(ख): निम्नलिखित राज्यों के संबंध में प्रस्ताव अधूरे थे और उनसे स्पष्टीकरण आदि देने का अनुरोध किया गया था। इन राज्यों से प्राप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव/टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख
1.	तमिलनाडु	स्पष्टीकरण 10.07.2026 को प्राप्त हुआ।
2.	केरल	प्रस्ताव 16.07.2026 को प्राप्त हुआ।
3.	कर्नाटक	स्पष्टीकरण 16.07.2026 को प्राप्त हुआ।
4.	त्रिपुरा	स्पष्टीकरण 17.07.2026 को प्राप्त हुआ।

(ग): जी, हां। तेलंगाना राज्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को लागू करने के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी शामिल है, जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, तेलंगाना राज्य को 30.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ): 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय सहायता समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रत्याशा में अप्रैल 2026 में एसएनए-स्पर्श पर 'मूल संस्वीकृति' के माध्यम से टोकन राशि के रूप में 128.4327 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जारी की गई थी। जिन मामलों में प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण पाए गए, वहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।
